संख्या-08/2018/486/84-1-18-83/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 09 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-101/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0आ0/18-19, दिनॉक 03.04.2018 के संदर्भ में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में निहित निर्देशों के अधीन, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के अधिष्ठान/ उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल रू0-5899.35 लाख (रूपये अठ्ठावन करोड़ निन्यानवे लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित विवरण के अनुसार, निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	मद संख्या व मानक मद का नाम	**धनराशि**
1.	01-वेतन	**4338.81**
2.	02-मजदूरी	**3.00**
3.	03-मंहगाई भत्ता	**433.88**
4.	04-यात्रा व्यय	**8.00**
5.	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**4.00**
6.	06-अन्य भत्ता	**208.80**
7.	07-मानदेय	**0.01**
8.	08-कार्यालय व्यय	**50.00**
9.	09-विधुत देय	**150.00**
10.	10-जलकर एवं जलप्रभार	**33.00**
11.	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	**20.00**
12.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**55.50**
13.	13-टेलीफोन पर व्यय	**18.00**
14.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**4.25**
15.	16-व्यवसायिक व विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**180.00**
16.	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	**31.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17.	18-प्रकाशन	**1.00**
18.	22-आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता आदि	**1.00**
19.	29-अनुरक्षण	**25.00**
20.	42-अन्य व्यय	**5.00**
21.	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**2.00**
22.	45-अवकाश यात्रा व्यय	**4.00**
23.	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय	**7.00**
24.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**26.60**
25.	49-चिकित्सा पर व्यय	**16.80**
26.	51-वर्दी व्यय	**3.00**
27.	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	**269.70**
	योग:-	**5899.35**

(1) वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नई मदों के कार्यान्वयन के लिये न किया जाय। इस आबंटित धनराशि में मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-2004, दिनॉक 07 जनवरी, 2005 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

(4) व्यय की मानक मद 04-यात्रा व्यय के लिये आवंटित धनराशि के समक्ष होने वाले व्यय को इस प्रकार नियंत्रित (रेगुलेट) किया जाय कि नियत यात्रा भत्ता/वाहन भत्ता का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय किया जाय।

(6) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(7) जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जाये तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

(8) बी0एम0-08 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियमित रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कैलेण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-बी-1-3318/दस-22/98, दिनॉक 28.07.98 में किया गया है।

(9) यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृटिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय में किसी बड़े अन्तर की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(10) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता की दृष्टि से अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक संगत प्रभावी एवं प्रचलित वित्तीय नियमों एवं प्राविधानों के तहत व्यय करते हुए अनुरक्षण सम्बन्धी कराये गये कार्यों का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मासिक प्रेषित की जाने वाली सूचना के साथ पृथक से शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त दिनॉक 30 मार्च, 2018 द्वा रा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

सख्या-08/2018/486(1)/84-1-18-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/ उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।